न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 158/17 (RCMS No. 2017/00171) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. शांती देवी पत्नि लल्लू
2. रूपनारायण पुत्र लल्लू
3. कैलाश पुत्र लल्लू
4. टीकाराम पुत्र लल्लू
5. दिनेश पुत्र लल्लू
6. भगवान पुत्र लल्लू

जाति बैरवा निवासी कुशतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हरगोविन्द पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी कुशतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 10.11.2015

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री विनोद अग्रवाल वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांकः—14.02.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 10.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के पति/पिता मृतक लल्लू ने पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि साबिक आराजी ख0 नं0 2000 रकवा 5 बीघा का आवंटन दिनांक 06.11.75 को किया गया था जिसका वटा नम्बर 2000/8 डालकर पट्टा जारी किया गया था। रैस्पो0 हरगोविन्द पुत्र छीतर बैरवा को भी 5 बीघा भूमि

आवंटित हुई थी जिसका ख0 नं0 2000/1 वटा नम्बर डालकर पश्चिम दिशा में कब्जा दिया था। बन्दोवस्त विभाग ने हरगोविन्द के खसरा नम्बर के दो नम्बर एक पश्चिम दिशा में तथा दूसरा रोड़ के पूर्व दिशा में बना दिये हैं जबकि हरगोविन्द पश्चिम दिशा की ओर ही काबिज काश्त है। अपीलान्ट के ख0 नं0 हाल 4309 लगायत 4312 बनाये गये है तथा हरगोविन्द के ख0 नं0 2000/1 के हाल ख0 नं0 3736 व 4305 बनाये है जो नक्शा शीट में काफी दूर–दूर स्थित है तथा मध्य में अन्य खेत बना दिये है, जो गलत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख0 नं0 4305 को नक्शा शीट में ख0 नं0 3736 के साथ तरमीम की जावे व अपीलान्ट के ख0 नम्बरान की तरमीम भी मौके व कब्जे के अनुरूप की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर यह माना कि अपीलान्ट के ख0 नं0 सही है तथा अपीलान्ट का उन्ही खसरा नम्बरान पर कब्जा भी है। अपीलान्ट ने हरगोविन्द के ख0 नं0 में दुरूस्ती चाही है। प्रार्थना पत्र सिद्ध नही होने से उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.12 को खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील पेश की, जो दिनांक 09.05.2013 को स्वीकार होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिमाण्ड प्रकरण में सुनवाई कर प्रकरण को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का नही मानते हुऐ धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दावा दायर करने के निर्देश अपीलान्ट को देते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें ख0 नं0 4305 रकवा 60 एयर पर रैस्पो0 हरगोविन्द का कोई कब्जा नही है। भू प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से उक्त ख0 नं0 को हरगोविन्द के नाम दर्ज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलेट कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की पालना नही की है। तहत न्यायालय ने श्रीमान जी के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का स्पष्ट उलंघन किया है। उनका तर्क है कि ख0 नं0 4305 एवं ख0 नं0 3736 रोड़ के एक दूसरी ओर स्थित है। भू प्रबन्ध विभाग ने ख0 नं0 3736 के चपेटवा स्थित ख0 नं0 3730 रकवा 60 एयर को चारागाह भूमि दर्ज कर दी है जबकि हरगोविन्द 3730 पर ही कब्जा काश्त है। इस प्रकार ख0 नं0 4305 पर गलत नाम चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मुताविक मौका रिपोर्ट तहसीलदार ख0 नं0 4305 रकवा 60 एयर को चारागाह भूमि दर्ज की जावे तथा ख0 नं0 3730 की प्रविष्टि ख0नं0 3736 के साथ दर्ज की जाकर दुरूस्ती की जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि रैस्पो0 को ख0 नं0 2000/1 आवंटन हुआ था। उक्त ख0 नं0 के हाल ख0 नं0 3736 व 4305 बनाये हैं। रैस्पो0 का उक्त आराजी पर कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलान्ट को ख0 नं0 2000/8 का आवंटन हुआ था, जिसके हाल ख0 नं0 4309 लगायत 4312 बनाये हैं। अपीलान्ट उक्त खसरा नम्बरान पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट ली है। अपीलान्ट चारागाह भूमि पर रैस्पो0 का नाम दर्ज कराना चाहते हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का नही है बल्कि धारा 88 आर.टी.ए. का है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट के पूर्वज लल्लू को साबिक आराजी ख0 नं0 2000 रकवा 5 बीघा का आवंटन दिनांक 06.11.75 को किया गया था जिसका वटा नम्बर 2000/8 डालकर पट्टा जारी किया गया था। अपीलान्ट के ख0 नं0 हाल 4309, 4310, 4311 व 4312 बनाये गये है। अपीलान्ट का रकवा 1.26 हैक्टेयर बनाया है जो गत के मुकाबले सही है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट अपने खसरा नम्बरान पर काबिज है। अपीलान्ट का कथन है कि हरगोविन्द के ख0 नं0 2000/1 के हाल ख0 नं0 3736 व 4305 बनाये है जो नक्शा शीट में काफी दूर–दूर स्थित है तथा मध्य में अन्य खेत बना दिये है, जो गलत है। अपीलान्ट ने हरगोविन्द के ख0 नं0 में दुरूस्ती चाही है। अपीलान्ट का हरगोविन्द के नम्बरान से कोई लेना देना भी नही है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट को चाही गई दादरसी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत नही दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र खारिज करने में किसी प्रकार की अनियमितता नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official